न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र०नं० – 21/2023

बयान : –

1. रामस्वरूप पुत्र श्री बीरबल जाति नाई आयु 67 वर्ष निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

– प्रार्थी

1. केसराराम पुत्र दुलीचन्द जाति छिम्पा निवासी छानीवडी तहसील भादरा।
2. चानणमल पुत्र लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीवडी तहसील भादरा।
3. धर्मोदेवी पत्नी लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीवडी तहसील भादरा।
4. लालचंद पुत्र लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीवडी तहसील भादरा।
5. सुभाषचन्द्र पुत्र लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीवडी तहसील भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री लीलाधर उर्फ लीलूराम छिम्पा निवासी छानीवडी तहसील भादरा।
7. टेकचंद पुत्र दुलीचंद जाति छिम्पा निवासी छानीवडी तहसील भादरा।
8. बृजलाल पुत्र दुलीचन्द जाति छिम्पा निवासी छानीवडी तहसील भादरा।
9. मूर्तिदेवी पत्नी मंगलाराम पुत्रवधु दुलीचन्द छिम्पा निवासी छानीवडी भादरा।
10. नरेन्द्र
11. विजेन्द्र
12. कान्ता

} पुत्र–पुत्री मंगलाराम पुत्रवधु दुलीचन्द जाति छिम्पा निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज०)

13. तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ राज०

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए
उपस्थिति :– श्री संदीप गोदारा प्रार्थी

निर्णय

दिनांक: 11·08·2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि चक 8 एएमएस के खाता सं. 193/182 के मु0 नं0 52 के किला नं. 18 ता 23 कुल क्षेत्रफल 1.5180 हैक्टर बारानी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। एवं चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के मु0 नं0 86 के किला नं. 4 ता 8, 13 ता 18 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु० नं0 87 के किला नं. 1 ता 4, 9 ता 12 प्रत्येक किला की 0.253 हेक्टर कुल 5.060 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] के नाम संयुक्त रूप से खातदोरी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:54:29 IST
Reason: SelfAttested

यह कि गांव छानीबडी की आबादी से उत्तर की ओर पक्की सडक से होकर प्रार्थी व अन्य ग्रामवासी आवागमन करते है। प्रार्थी की कृषि भूमि मुख्य सडक से पश्चिम दिशा में पडती है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए मु0 नं0 87 के किला नं. 4, 5 के दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी तरफ दक्षिण से उतर रास्ते से होकर आवागमन करता आ रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के मु० नं0 87 के किला नं. 5 के उतर तरफ पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृतशुदा रास्ता है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के

...नं0 87 के किला सं. 4 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी उत्तरी ...ने से होकर पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर एक–एक बिस्वा रास्ता की आवश्यकता है ...से प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाने का कानूनी अधिकारी है। उक्त रास्ता का ...कन राजस्व रिकॉर्ड स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन ...तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 के विरूद्ध एक...तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से रिपोर्ट पेश की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण की चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के मु0 नं0 87 के किला सं. 4 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी उत्तरी कोने से होकर पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर एक–एक बिस्वा रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज में प्रार्थी रास्ता की भूमि के बदले कृषि भूमि या उसकी कीमत अप्रार्थीगण को अदा करने के किलए तत्पर एवं तैयार है विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है व रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि देने को तैयार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक चक 8 एएमएस के खाता सं. 126/69 के मु0 नं0 87 के किला सं. 4 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी–उत्तरी कोने से होकर पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर एक–एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त मु0 नं0 87 के किला सं. 4 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम व किला नं. 3 के पूर्वी–उत्तरी कोने से होकर पूर्व की तरफ दक्षिण से उत्तर एक–एक बिस्वा रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि दिलायी जाकर ही उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:54:29 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़